प्रेस विज्ञप्ति

12.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीडीपीएल) और उसकी समूह कंपनियों की 681.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, सेक्टर 92 और 95 में स्थित रामप्रस्थ सिटी की लगभग 226 एकड़ की दो प्लॉटेड कॉलोनियाँ और गुरुग्राम, हरियाणा के गाँव बसई, गाडोली कलां, हयातपुर और वजीपुर में स्थित लगभग 1700 एकड़ के भूखंड शामिल हैं।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। यह जांच मेसर्स आरपीडीपीएल और इसके प्रमोटरों अरविंद वालिया, बलवंत चौधरी सिंह और संदीप यादव के खिलाफ कई घर खरीदारों की शिकायतों पर आधारित थी, जिन पर वादा किए गए समय सीमा के भीतर वादा किए गए फ्लैट और प्लॉट देने में विफल रहने का आरोप था।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स आरपीडीपीएल की विभिन्न परियोजनाएं जैसे कि प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्थ सिटी (प्लॉटेड कॉलोनी परियोजना) सेक्टर 37डी, 92 और 95 गुरुग्राम में 2008-2011 में लॉन्च की गई थीं और 14-17 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी फ्लैटों/प्लॉट की गई जमीनों पर कब्जा नहीं दिया गया है। जांच में पता चला है कि मेसर्स आरपीडीपीएल ने गुरुग्राम, हरियाणा में उक्त परियोजनाओं के लिए 2000 से अधिक घर खरीदारों से लगभग 1100 करोड़ रुपये एकत्र किए। जांच में यह भी पता चला है कि मेसर्स आरपीडीपीएल के प्रमोटरों/निदेशकों ने घर खरीदारों से एकत्र धन को अपने समूह की कंपनियों को वादा किए गए घरों को पूरा करने के लिए उपयोग करने के बजाय भूमि पार्सल इत्यादि की खरीद के लिए अग्रिम के रूप में दे दिया, जिसके कारण अंततः आज तक फ्लैट और प्लॉट वितरित नहीं किए जा सके।

आगे की जाँच जारी है।